न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :— मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 59/2020 दायरा दिनांक 02.07.2020

सोमनकौर उर्फ सिमरजीतकौर पुत्री श्री सरजीतसिंह पत्नी श्री गुरसेवकसिंह जाति मजहबी निवासी श्यामसिंहवाला (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— वादीया

बनाम

1. राजपालकौर उर्फ चरणजीतकौर पुत्री श्री सरजीतसिंह पत्नी श्री स्वर्णसिंह जाति मजहबी निवासी 11 जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सोहनसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति मजहबी निवासी 1.600 आर.डी. (बिरधवाल हैड) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. पप्पू पुत्र श्री भगवानसिंह फौत जरिये वारिस :—

   3/1 जसवीरकौर पत्नी श्री पप्पू

   3/2 सन्दीपसिंह पुत्र श्री पप्पू
4. भरतसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति मजहबी निवासी 1.600 आर.डी. (बिरधवाल हैड) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. छिन्द्रकौर पुत्री श्री भगवानसिंह पत्नी श्री रामसिंह जाति मजहबी निवासी बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. मनजीतकौर पुत्री श्री भगवानसिंह पत्नी श्री गुरबक्षसिंह जाति मजहबी निवासी रिको फेक्ट्री श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :—

1. श्री जसवीरसिंह बराड़ एडवोकेट — वादीया
2. श्री राहुल शर्मा एडवोकेट — प्रतिवादी नं. 1, 2, 3/1, 3/2, 4 ता 6
3. पेरोकार राज नायब तहसीलदार — प्रतिवादी नं 7

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 25.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीया ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 ता 6 के नाम से वाके चक 1 एम.सी. की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 2/2 के पत्थर नं. 134/24 (न) के किते

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

2/2 में 0.013, 7–8/0.506, 9/2 में 0.240, 10–11/0.506, 12/0.190, 13/0.063 = 1.518 हैक. कमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीया एव प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के दादा/पिता भगवानसिंह को उक्त रकबा पुख्ता आंवटन अन्तोदय में आवंटन था। बाद में उक्त रकबा खातेदारी हो चुका है। वादीया एव प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के दादा/पिता भगवानसिंह का देहान्त दिनांक 15.10.1993 को हो चुका है। उक्त रकबा का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादीया एवं प्रतिवादी नं. 1 के पिता सरजीतसिंह का नाम सहवन से छुट गया है क्योकि वादीया एव प्रतिवादी नं. 1 के पिता सरजीतसिंह का देहान्त वादीया के दादा भगवानसिंह से पहले दिनांक 14.08.1987 को हो चुका था। वादीया के पिता सरजीतसिंह के देहान्त उपरान्त वादीया की माता जसवीरकौर ने प्रतिवादी नं. 3 पप्पू की चुड़ी पहन ली थी इसी वजह से अब वादीया के पिता सरजीतसिंह के वादीया व प्रतिवादी नं. 1 ही जायज वारिस है। वादीया एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 6 की दादी/माता श्रीमती करतारकौर पत्नी भगवानसिंह का देहान्त दिनांक 05.05.2017 को होने के कारण पक्षकार नही बनाया गया है उसके हिस्से में आने वाले रकबा को वादीया एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में माना गया है। उक्त जैरप्रकरण रकबा पैतृक सम्पति की श्रेणी में आता है। उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति में पौत्रींयो का पिता/दादा के बराबर हक व हिस्सा बनता है। इसलिए उक्त रकबा 1.518 हैक. रकबा में से अपने पिता के हिस्सा में आने वाले 1/6 हिस्सा रकबा में वादीया का 1/2 हिस्सा व हक कानूनी रुप से बनता है। इसलिए वादीया एंव प्रतिवादी नं. 1 के नाम 1/6 हिस्सा ब.हि.बराबर व प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 3/1 व 3/2 का 1/6 हिस्सा ब.हि. बराबर व प्रतिवादी नं. 4 ता 6 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा जोड़ा जावे। इसलिए वादीया ने यह दावा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं 1, 2, 3/1 व 3/2, 4 ता 6 की तरफ से श्री राहुल शर्मा एडवोकेट हाजिर आये व जबाव इकबाल दावा पेश किया व प्रतिवादी नं. 1, 2, 3/1 व 3/2, 4 ता 6 अपने जबाब इकबाल दावा में वादीया का वाद स्वीकार कर लिया।

दावा में श्री जसवीरसिंह बराड़ एडवोकेट ने वादीया की और से एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीया ने जैर प्रकरण रकबा में अपने पिता सरजीतसिंह के

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

लगातार पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

1/6 हिस्सा में वादीया व प्रतिवादी नं. 1 का ब.हि.बराबर हक व हिस्सा घोषित करवाना चाहा है। वादीया द्वारा दावा में अपने दादा भगवानसिंह व पिता सरजीतसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी पेश की है। जिस पर श्री राहुल शर्मा एडवोकेट द्वारा कोई जिरह नही की गई।

अधिवक्तागण की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 ता 6 के नाम से वाके चक 1 एम.सी. की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 2/2 के पत्थर नं. 134/24 (17) के किला नं. 2/2 में 0.013, 7–8/0.506, 9/2 में 0.240, 10–11/0.506, 12/0.190, 13/0.063 = 1.518 हैक. कमाण्ड रकबा विरास्तन सम्पति है व विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादीया एंव प्रतिवादी नं. 1 के पिता सरजीतसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया। इसलिए वादीया उक्त पैतृक सम्पति में अपने पिता सरजीतसिंह का 1/6 हिस्सा दर्ज कर वादीया एंव प्रतिवादी नं. 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा कानूनी बनता है जिसे घोषित करवाने की वादीया कानुनी रूप से हकदार भी है।

अतः वाद वादीया आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 ता 6 के नाम से वाके चक 1 एम.सी. की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 2/2 के पत्थर नं. 134/24 (17) के किला नं. 2/2 में 0.013, 7–8/0.506, 9/2 में 0.240, 10–11/0.506, 12/0.190, 13/0.063 = 1.518 हैक. कमाण्ड रकबा मे वादीया एंव प्रतिवादी न. 1 के पिता सरजीतसिंह के 1/6 हिस्सा में वादीया एंव प्रतिवादी न. 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 3/1 व 3/2 का 1/6 हिस्सा ब.हि.बराबर व प्रतिवादी नं. 4 ता 6 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

–: डिक्री ब मुक्दमा इखदाई :–

(ऑ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़

बइजलास – मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

सोमनकौर उर्फ सिमरजीतकौर पुत्री श्री सरजीतसिंह पत्नी श्री गुरसेवकसिंह जाति मजहबी निवासी श्यामसिंहवाला (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादीया

बनाम

1. राजपालकौर उर्फ चरणजीतकौर पुत्री श्री सरजीतसिंह पत्नी श्री स्वर्णसिंह जाति मजहबी निवासी 11 जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सोहनसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति मजहबी निवासी 1.600 आर.डी. (बिरधवाल हैड) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. पप्पू पुत्र श्री भगवानसिंह फौत जरिये वारिस :–
   3/1 जसवीरकौर पत्नी श्री पप्पू
   3/2 सन्दीपसिंह पुत्र श्री पप्पू
4. भरतसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति मजहबी निवासी 1.600 आर.डी. (बिरधवाल हैड) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. छिन्द्रकौर पुत्री श्री भगवानसिंह पत्नी श्री रामसिंह जाति मजहबी निवासी बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. मनजीतकौर पुत्री श्री भगवानसिंह पत्नी श्री गुरबक्षसिंह जाति मजहबी निवासी रिको फेक्ट्री श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए मुकदमा नं. 59/2020 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीया श्री जसवीरसिंह बराड़ व वकील प्रतिवादी नं. 1, 2, 3/1 व 3/2, 4 ता 6 श्री राहुल शर्मा पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 ता 6 के नाम से वाके चक 1 एम.सी. की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 2/2 के पत्थर नं. 134/24 (17) के किला नं. 2/2 में 0.013, 7–8/0.506, 9/2 में 0.240, 10–11/0.506, 12/0.190, 13/0.063 = 1.518 हैक. कमाण्ड रकबा मे वादीया एंव प्रतिवादी न. 1 के पिता सरजीतसिंह के 1/6 हिस्सा में वादीया एंव प्रतिवादी न. 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 3/1 व 3/2 का 1/6 हिस्सा ब.हि.बराबर व प्रतिवादी नं. 4 ता 6 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के लिये श्रीमान् तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को आदेश दिये जाते है।

आज ....x.......... मुबलिग ....x.......... बाबत् ....x.......... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह ....x.......... कस्दो की पालना ....x..........आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25.08.2020 को जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।